[2019] 10 एस. सी. आर. 1046

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 10 एस सी आर।

ए.

काठी डेविड राजू

बनाम

आंध्र प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. (2019 की आपराधिक अपील No.1186)

बी.

05 अगस्त, 2019

[अशोक भूषण और नवीन सिन्हा**,** जे**.** जे**.]**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:

एस।53 – झूठी जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने का आरोप लगाने वाली एफ. आई. आर.-जाँच के दौरान, अभियुक्त/अपीलार्थी और उसकी माँ और भाई का डी. एन. ए. परीक्षण करने की अनुमति के लिए पुलिस द्वारा आवेदन-सिविल कोर्ट ने डी. एन. ए. परीक्षण करने का निर्देश दिया-आवेदन यू/एस।482 Cr.P.C., सिविल न्यायाधीश के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया-सर्वोच्च न्यायालय में अपील-आयोजितःधारा 53 पुलिस को डी. एन. ए. परीक्षण करने का अनुरोध करने का अधिकार देती है-लेकिन वर्तमान मामले में, पर्याप्त जांच किए बिना डी. एन. ए. परीक्षण के लिए अनुरोध करना बहुत जल्दी था-इसलिए, सिविल न्यायाधीश का आदेश अस्थिर था।

सी.

डी.

अपील को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया कि धारा **53 Cr.P.C** पुलिस अधिकारियों को किसी व्यक्ति की जांच करने के लिए एक चिकित्सा व्यवसायी से अनुरोध करने का अधिकार देती है।वर्तमान एक ऐसा मामला है जिसमें कोई ठोस जांच किए बिना**,** पुलिस अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि डीएनए परीक्षण प्राप्त किया जाना चाहिए।पुलिस अधिकारियों द्वारा पर्याप्त जांच किए बिना डी**.** एन**.** ए**.** परीक्षण करने का अनुरोध करना जल्दबाजी होगी।अतिरिक्त कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश इस बात पर भी ध्यान देने में विफल रहे कि जाँच प्राधिकरण द्वारा की गई जाँच में ऐसी कोई सामग्री नहीं लाई गई है जिसके आधार पर यह राय दी जा सकती है कि अपीलार्थी के लिए उसकी माँ और दो भाइयों का डी**.** एन**.**

ए. परीक्षण करना आवश्यक है।इसलिए, अतिरिक्त कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश द्वारा दिनांकित **22.01.2016** द्वारा पारित आदेश अस्थिर था।उच्च न्यायालय ने धारा **482 Cr.P.C** के तहत अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उक्त आदेश को दरकिनार नहीं करने में त्रुटि की। **[**पारस **11** और **12] [1049**-एफ-एच**; 1050**-ए**]**

ई.

एफ.

जी.

एच.

1046 ए.

1047

काठ्ही डेविड राजू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य ए

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : 2019 की आपराधिक अपील No.1186

2017 की आपराधिक याचिका संख्या 12458 में तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए हैदराबाद में उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 04.06.2018 से

बी.

वी. श्रीधर रेड्डी, अभिजीत सेनगुप्ता, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।महफूज़ ए. नाज़की, पोलंकी गौतम, अविनाश त्रिपाठी, गुंटूर प्रभाकर, सुश्री प्रेरणा सिंह, गुंटूर प्रमोद कुमार, प्रशांत चौधरी, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

सी.

अशोक भूषण**,** जे।

1. छुट्टी दे दी गई।

2. हमने पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुना है।

3. यह अपील अतिरिक्त कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश, बापतला द्वारा पारित 22.01.2016 के आदेश को रद्द करने के लिए अपीलार्थी द्वारा दायर दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C) की धारा 482 के तहत आवेदन को खारिज करने वाले 04.06.2018 के फैसले के खिलाफ दायर की गई है।उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय द्वारा धारा 482, Cr.P.C के तहत आवेदन को खारिज कर दिया है। इस अपील को जन्म देने वाले संक्षिप्त तथ्य हैं:

डी.

ई.

4. प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपीलार्थी के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 465,468,471 और 420 के तहत दिनांक 06.01.2016 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर की।एफ. आई. आर. में आरोप का सार यह था कि अपीलार्थी ने 'यनदी' जाति का एक नकली अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, जबकि वह 'तेलंगा' जाति का था।यह भी आरोप लगाया गया कि जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अपीलार्थी ने रोजगार प्राप्त किया और V.T.P.S. विद्युत उत्पादन निगम में अतिरिक्त सहायक अभियंता के रूप में काम किया।अपीलार्थी का मूल नाम 'इम्मादबथिना वीरांजनेयुलु एस/ओ वेंकट कोटैया' है।अपीलार्थी ने अपना नाम बदलकर 'येदुलकोंडालू के बेटे काठी डेविड राजू' कर लिया है। यह भी दलील दी जाती है कि अपीलार्थी के दो बच्चों ने 'यनदी' जाति का नकली जाति प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया था।एफ. आई. आर. के आधार पर, अपीलार्थी को 11.01.2016 पर गिरफ्तार किया गया और न्यायिक रिमांड के लिए भेजा गया।13.01.2016 पर, अतिरिक्त कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश, बापटला के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया था जिसमें अनुरोध किया गया था कि अदालत डीएनए परीक्षण करने का निर्देश दे सकती है।

एफ.

जी.

एच.

अपीलार्थी, अपीलार्थी की माँ और अपीलार्थी के दो भाई।अतिरिक्त कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश ने दिनांक 1 के आदेश द्वारा बापतला टाउन पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (एस. एच. ओ.) द्वारा किए गए अनुरोध पर डी. एन. ए. परीक्षण करने का निर्देश दिया।

5. अतिरिक्त कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 22.01.2016 के आदेश से व्यथित, अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय में धारा 482, Cr.P.C के तहत एक आवेदन दायर किया गया है जिसमें दिनांकित 22.01.2016 के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया है जिसे उच्च न्यायालय द्वारा विवादित फैसले द्वारा खारिज कर दिया गया है।

बी.

6. अपीलार्थी के विद्वान वकील का तर्क है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने अपर्याप्त आधारों और सामग्री पर डी. एन. ए. परीक्षण करने का निर्देश देने में त्रुटि की।जांच अधिकारियों ने जांच पूरी नहीं की है और

रोविंग और फिशिंग जांच के रूप में, उन्हें अपीलार्थी पर डीएनए परीक्षण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 को नकली संघ का पदाधिकारी होने का दावा किया जाता है, जिसने अपीलार्थी के खिलाफ व्यक्तिगत दुर्भावना के कारण अपीलार्थी के जाति प्रमाण पत्र पर सवाल उठाते हुए प्राथमिकी दर्ज की है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक अधिनियम है अर्थात। आंध्र प्रदेश (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति) सामुदायिक प्रमाण पत्र जारी करने का विनियमन अधिनियम, 1993 जिसके तहत झूठे सामुदायिक प्रमाण पत्र को रद्द करने, जुर्माने का प्रावधान और अन्य प्रासंगिक प्रावधान हैं।प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी दुर्भावनापूर्ण थी और यह अपीलार्थी को परेशान करने के इरादे से की गई थी।

सी.

डी.

ई.

7. प्रत्यर्थी की ओर से पेश हुए विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि पुलिस अधिकारियों ने अदालत से उन्हें डीएनए परीक्षण करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था क्योंकि प्राथमिकी में आरोप लगाए गए हैं कि अपीलकर्ता 'वेंकट कोटैया' का बेटा है जबकि उसने 'येदुलकोंडालू' का बेटा होने का दावा किया है।यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 53 Cr.P.C. पुलिस अधिकारी को डीएनए परीक्षण के लिए अनुरोध करने का अधिकार देती है।

एफ.

8. हमने पक्षकारों के विद्वान वकील की दलीलों पर विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

जी.

9. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एफ़. आई. आर. 06.01.2016 पर दर्ज की गई थी जहाँ अपीलार्थी के खिलाफ आरोप अनुसूचित जाति का एक झूठा जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने का था जिसमें एक और आरोप था कि वह मूल रूप से 'तेलंगा' जाति का था।अपीलार्थी को 11.01.2016 पर गिरफ्तार किया गया था और 13.01.2016 पर ही एस. एच. ओ. ने ए. की अदालत में एक आवेदन प्रस्तुत किया था।

एच.

डी. एन. ए. परीक्षण के संचालन की अनुमति देने के लिए अतिरिक्त कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश, जिस पर विवादित आदेश पारित किया गया था।विवादित आदेश में स्वयं निम्नलिखित निवेदन का उल्लेख किया गया है:-

"विद्वान एपीपी ने प्रस्तुत किया कि जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है और जांच पूरी करने के लिए भौतिक साक्ष्य एकत्र किए जाने हैं और पुलिस हिरासत की भी आवश्यकता है।इसके अलावा तर्क दिया गया कि आरोपी नंबर 1 और आरोपी नंबर 1 की मां के साथ-साथ आरोपी नंबर 1 के परिवार के सदस्यों के बीच डीएनए परीक्षण आरोपी नंबर 1 और आरोपी नंबर 1 के माता-पिता के रिश्तेदारों की मां के बीच रक्त संबंध को साबित करने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है।इसलिए, विद्वान एपीपी अदालत से अनुरोध करता है कि वह डीएनए परीक्षण के लिए प्रतिवादी/अभियुक्त की जांच के लिए याचिका की अनुमति दे।"10. किसी उपयुक्त मामले में डी. एन. ए. परीक्षण करने के लिए न्यायालय से अनुमति लेने के पुलिस अधिकारियों के अधिकार पर कोई विवाद नहीं हो सकता है। वर्तमान मामले में, एफ़. आई. आर. में अपीलार्थी पर अपना नाम और माता-पिता बदलकर झूठा जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने का आरोप लगाया गया है।आदेश ने स्वयं नोटिस किया कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है और भौतिक साक्ष्य अभी तक एकत्र नहीं किए गए हैं।पुलिस अधिकारियों ने एकत्र की गई सामग्री पर संतुष्ट हुए बिना या पर्याप्त जांच किए बिना डी. एन. ए. परीक्षण का अनुरोध किया है जो एक व्यक्ति, उसकी माँ और भाइयों पर भटकने और पूछताछ करने की दिशा में एक कदम के अलावा और कुछ नहीं है।यह एक गंभीर मामला है जिसे इस तरह के परीक्षण की आवश्यकता के लिए उचित संतुष्टि के बिना हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए।

बी.

सी.

डी.

ई.

11. यह प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील का निवेदन है कि धारा 53 Cr.P.C पुलिस अधिकारियों को किसी व्यक्ति की जांच करने के लिए एक चिकित्सा व्यवसायी से अनुरोध करने का अधिकार देती है।पुलिस अधिकारियों को इस तरह का अनुरोध करने का अधिकार देने वाले प्रावधान पर कोई विवाद नहीं हो सकता है।वर्तमान एक ऐसा मामला है जिसमें कोई ठोस जांच किए बिना, पुलिस अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि डीएनए परीक्षण प्राप्त किया जाना चाहिए।पुलिस अधिकारियों द्वारा पर्याप्त जांच किए बिना डी. एन. ए. परीक्षण करने का अनुरोध करना जल्दबाजी होगी।अतिरिक्त कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश इस बात पर भी ध्यान देने में विफल रहे कि जाँच प्राधिकरण द्वारा की गई जाँच में ऐसी कोई सामग्री नहीं लाई गई है जिसके आधार पर यह राय दी जा सकती है कि अपीलार्थी के लिए उसकी माँ और दो भाइयों का डी. एन. ए. परीक्षण करना आवश्यक है।

एफ.

जी.

12. इस प्रकार, हमारा विचार है कि अतिरिक्त कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश द्वारा दिनांकित 22.01.2016 द्वारा पारित आदेश अस्थिर था।उच्च न्यायालय ने धारा 482 Cr.P.C के तहत अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उक्त आदेश को दरकिनार नहीं करने में त्रुटि की।

13. परिणामस्वरूप, हम अपील की अनुमति देते हैं, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश के साथ-साथ अतिरिक्त कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश के दिनांक 22.01.2016 के आदेश को रद्द कर देते हैं।हालाँकि, संबंधित न्यायालय के लिए यह खुला रहेगा कि वह ऐसा कोई भी निर्णय लेने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री होने पर डी. एन. ए. परीक्षण करने के अनुरोध पर विचार करे।
14. अपील को उपरोक्त सीमा तक अनुमति दी जाती है।

बी.

सी.

कल्पना के. त्रिपाठी

अपील की अनुमति दी गई।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.